भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2515

18.12.2023 को उत्तर के लिए

नीलगिरी जीवमंडल, तमिलनाडु में बाघों की मृत्यु

2515. श्री ए.राजा.

श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु में नीलगिरी जीवमंडल में 10 से अधिक बाघों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या शावकों सहित बाघों का पोस्टमार्टम कर मौतों की जांच के लिए कोई टीम या समिति गठित की गई है;

(ग) क्या इन बाघों की मौत की जांच करते समय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) प्रोटोकॉल का पालन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो बड़ी संख्या में बाघों की अचानक मौत के क्या कारण हैं; और

(ड.) उक्त क्षेत्र में अप्राकृतिक मौतों की रोकथाम और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): जैसा कि इस राज्य के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, दिनांक 16.08.2023 से दिनांक 19.09.2023 तक नीलगिरि क्षेत्र में दस बाघों की मौत हुई थी।

(ख): जी, हाँ। नीलगिरि में बाघों की उक्त मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा एक समिति का गठन किया गया था।

(ग) एवं (घ): जी, हाँ। समिति द्वारा बताए गए कारण नीचे दिए गए हैं:

i. दो वयस्क बाघों की मृत्यु आपसी लड़ाई के कारण और 6 बाघ शावकों की मृत्यु भुखमरी के कारण हुई थी।

ii. एवालांचे क्षेत्र में दो बाघों की मौत जहर दिये जाने के कारण हुई थी, दोषी को वन विभाग पहले ही गिरफ्तार कर चुका है।

(ङ): इस क्षेत्र में अप्राकृतिक मौतों की रोकथाम और वन्य जानवरों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार है:

1. बाघ की आवागमन पारिस्थितिकी और परिदृश्य में भूमि-उपयोग परिवर्तन पर विचार करते हुए संभावित भविष्य के संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक परिदृश्य रणनीति लागू करना।
2. एम-स्ट्रिप्स मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके विस्तृत निगरानी करने और इस क्षेत्र में गहन कैमरा ट्रैपिंग की अनुशंसा की गई थी।
3. स्थिति विश्लेषण के आधार पर लोगों के सामने आने वाले जोखिम और खतरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए मानव बहुल क्षेत्रों में बाघों की आवाजाही की जांच की सिफारिश की गई है।
4. सभी संबंधित हितधारकों के साथ सहयोगात्मक उपशमन कार्यनीतियों की परिकल्पना की गई है और वन विभाग के मार्गदर्शन में स्थानीय और पंचायत स्तर पर माइक्रोप्लानिंग के माध्यम से कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

****